श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
बी–4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र,
नई दिल्ली–110016

क्रमांक. एफ 21(01)/ला.ब.शा.रा.सं.वि./हि.रा.भा./2021–22/652 दिनांक 12.08.2024

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय के समस्त विभागों एवं अनुभागों को सूचित किया जाता है कि प्रशासनिक काम–काज में हिन्दी की प्रगति की निगरानी हेतु शीघ्र ही संसदीय राजभाषा समिति द्वारा विश्वविद्यालय का राजभाषायी निरीक्षण किया जा सकता है। समस्त विभागों एवं अनुभागों से अनुरोध है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 धारा 3(3) में उल्लिखित सभी दस्तावेज़ **जैसेः–दिन–प्रति–दिन के सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएँ, नियम, करार, संविदा, टेंडर नोटिस, एम.ओ.ए., भर्ती नियम (आर.आर.), संसदीय प्रश्न, प्रशासनिक प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञाप्ति, लाइसेंस (अनुज्ञप्ति), परमिट (अनुज्ञा पत्र), नियुक्ति पत्र एवं कार्यवृत्त आदि सभी द्विभाषी (हिन्दी और अंग्रेज़ी)** में जारी किए जाएँ। ऐसा करने में यदि किसी को असुविधा हो रही है तो अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क कर सकते है।

यह कार्यालय आदेश सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति उपरांत निर्गत किया जा रहा है।

कुलसचिव (प्र)

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त पीठाध्यक्ष
2. विश्वविद्यालय के समस्त विभाग एवं अनुभाग
3. कुलपति, कुलसचिव/वित्ताधिकारी के निजी सचिव
4. संगणक विभाग को इस आशय से प्रेषित है कि इस कार्यालय आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें तथा समस्त विभागों एवं अनुभागों को व्हाट्सएप्प के माध्यम से सूचित करने का कष्ट करें।
5. संबंधित पंजिका।

कुलसचिव (प्र)

1/8/2024